



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-09.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर में हत्या के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त व अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 53-53 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-81/2018 धारा 302/34, 201 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामसेवक पटेल उर्फ नखडू पुत्र स्व0 माता प्रसाद व अभियुक्ता 2. रीता देवी पत्नी सभाराज पटेल निवासीगण ग्राम छतांव हमीरापुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-08.05.2024 को माननीय न्यायालय ACC मेन/UPSEB वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 302/34,201 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त अभियुक्त/अभियुक्ता को धारा 302/34 भा0द0वि0 में सश्रम आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये तथा धारा 201 भा0द0वि0 में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।